न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— मुकेश कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 29/2010

तारीख दायरा—09.08.2010

तारीख निर्णय—11.05.2017

उनवान

1. श्री प्रतापलाल पिता लालींग निवासी कागटी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
2. श्री भुरीलाल पिता लालींग निवासी कागटी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
3. श्री गणेशलाल पिता लालींग निवासी कागटी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
4. श्री मोहनलाल पिता लालींग निवासी कागटी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
5. श्री देवीलाल पिता लालींग निवासी कागटी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
6. श्री शंकरलाल पिता स्वरूपसिंह जी निवासी कागटी तरपाल तहसील गोगुन्दा।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रामलाल पिता प्रताप जी गुरू निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
2. श्री ख्यालीलाल पिता प्रताप जी गुरू निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
3. श्रीमति धुली बेवा प्रताप जी गुरू निवासी तरपाल तहसील गोगुन्दा।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा तरपाल तहसील गोगुन्दा में आराजी नम्बर 1033 से 1039, 1045 से 1049 किता 12 कुल रकबा 0.7650 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। भूमि सहखातेदारी में स्थित होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विकास भी नही कर पा रहे है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई तत्परता नही दिखाने से वादीगण को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद पेश करना आवश्यक होने से वाद पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया, जिसके आधार पर तनकियात कायम की जाकर दोनो पक्षों की साक्ष्य कलम बद्ध कर बहस सुनी गई। वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.11.2008 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार

गोगुन्दा को मौके पर जाकर विभाजन करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। विभाजन योजना प्रस्ताव पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष ने जाहिर किया कि बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी सभी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे सभी पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

वादीगण का वाद सावित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा कागटी पटवार क्षेत्र तरपाल तहसील गोगुन्दा की आराजी नम्बर 1033 रकबा 0.0300, 1034 रकबा 0.0250, 1035 रकबा 0.0250, 1036 रकबा 0.0750, 1037 रकबा 0.0700, 1038 रकबा 0.1550, 1046 रकबा 0.0300, 1047 रकबा 0.1000, 1048 रकबा 0.0350, 1049 रकबा 0.0200 किता 10 कुल रकबा 0.5650 है0 लगान 3.70 रूपये भूमि का रमेश, गोविन्द, हरीश, कालीबाई पिता नवला राम, हंजाबाई बेवा नवलाराम 1/10 नाथुलाल, माधुलाल पिता भुरीलाल 2/25, भुरीबाई बेवा भुरीलाल 1/50, गणेशलाल, मोहनलाल, देवीलाल पिता लालींग 3/10, वजेराम, नानालाल, पन्नालाल, लेहरीबाई, गीताबाई, कानीबाई, पेमीबाई पिता शंकर, केसीबाई बेवा शंकर 1/2, को एवं आराजी नम्बर 1039 रकबा 0.1100, 1045 रकबा 0.0900 किता 02 कुल रकबा 0.2000 है0 भूमि का रामलाल, ख्यालीलाल पिता प्रताप गुरू को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, उदयपुर